न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य (आर.ए.एस)

मुकदमा नं0 :– 24/13

1	हंसराम पुत्र हरप्रसाद	समस्त जाति गुर्जर, निवासी मूंडिया तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0
2	रामनरेश पुत्र हरप्रसाद	
3	सहीराम पुत्र कमोदा (मृतक)	
3/1	रामौतार पुत्र सहीराम	
3/2	समन्दर पुत्र सहीराम	
3/3	केशराम पुत्र सहीराम	
4	बलराम पुत्र मथुरा	

बनाम

1 रामस्वरूप पुत्र अंगद जाति गुर्जर, निवासी मूंडिया तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

2 चंदा देवी पत्नी कमल, जाति गुर्जर निवासी मूंडिया (खेडा पट्टी) तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

3 तहसीलदार तह0 टोडाभीम।

4 उपपंजीयक कार्यालय टोडाभीम।

उपस्थित

1 रामभरोसी गुप्ता सायलान की ओर से

2 सुरेश चन्द शर्मा गैरसायलान की ओर से

दिनांक :– 20.01.2016

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ख0नं0 859 रकबा 0.54है0, 860 रकबा 0.45है0, 861 रकबा 0.02है0 ग्राम मूंडिया तह0 टोडाभीम

जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

जिला करौली में स्थित है। भू प्रबन्धक से पूर्व इस भूमि का ख.नं. 627 रकबा 4 बीघा था। जिसको मिलान क्षेत्रफल में दर्शाया है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। जिससे अप्रार्थी नं0 1, 2 का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। यह भूमि प्रार्थीगण को अपने पिता व बाबा से विरासत में मिली है, अप्रार्थी रामस्वरूप के स्व. पिता अंगद के पुत्र देवपाल ने इस भूमि को प्रार्थीगण के पिता मथुरा, कमोदा पुत्रगण लोहडे को मिती पोष सुदी 10 सम्वत् 2023 को राशि 2200/–रूपये में नकद रूपये प्राप्त कर विकय कर दी है तथा मौके पर खरीददारो का कब्जा करा दिया है। इस संबंध में प्रार्थीगण की वही में विकयनामा की लिखा पढी की गयी है। जिस पर अंगद के हस्ताक्षर है। तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031, 2032, 2033 मे कब्जा काश्त दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता व बाबा मथुरा व कमोदा ने अपने जीवन काल में तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण ने बहैसियत मालिक विकय के दिन से आज तक लगातार काश्त कर रहे है तथा सरकारी लगान अदा कर रहे है। चूंकि मथुरा, कमोदा, गोकल व रामकिशन आपसे में खास भाई है। तथा चारो भाईयो व उनकी औलादो ने मिलकर भूमि को काश्त किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण को कानूनन राज. टी. एक्ट के तहत ऑन टर्म पजेशन के आधार पर खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो गये है तथा प्रार्थीगण अपने नाम खातेदारी कराने के हकदार है। तथा अप्रार्थी की खातेदारी के अधिकार समाप्त हो गये है। अप्रार्थी रामस्वरूप ने गलत व गैरकानूनी रूप से बिना किसी अधिकार व कब्जे के गोपनीय तरीके से भूमि ख0नं0 859 रकबा 0.54है0 को विकय पत्र अप्रार्थी नं0 2 चंदा देवी के नाम दिनांक 24.07.2013 को करा दिया है। जो बेनामी ट्रान्जेक्शन है तथा बेआधार प्रार्थीगण है तथा नल एड बोइड है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से भूमि की खातेदारी कराने को कहा तो इन्होने इन्कार कर दिया इसलिये प्रार्थना पत्र पेश

जिला कलक्टर
भीम (करौली)

Scanned by CamScanner

करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस से तलब किया, गैरसायलान की ओर से अधिवक्ता उपस्थित तथा उन्होने प्रार्थना पत्र के अधिकतम मदो को अस्वीकार करते हुए जबाव के विशेष विवरण में लिखा है। कि ख0नं0 859, 860, 861 ग्राम मूंडिया का गैरसायलान खातेदार काश्तकार का उक्त भूमि उसे विरासत में मिली है उसने अपने खातेदारी तथा कब्जे काश्त का एक ख0नं0 859 के साथ अन्य आराजी का बेचान गैरसायल नं0 2 को कर दिया। सम्पूर्ण राशि प्राप्त करके कब्जा गैरसायलान को संभला दिया। उक्त आराजी से सायलान का कभी कोई संबंध नही रहा है और ना ही कभी कब्जा रहा है। और ना ही आज है जब कब्जा ही नही है तो प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। तथा कथित विक्रय पत्र सम्वत् 2023 का बताते ह जिस बही मे अंकित करना बताते है। वह स्वयं की बही है। तथा उस पर उन लोगो के हस्ताक्षर बताते है जो एक भी जीवित नही है। आराजी गैरसायलान को विरासत में मिली है। इस लिये प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी, सायलान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त आराजी सायलान द्वारा 2023 में खरीद की है। तथा हम एडवर्डस पजेशन के आधार पर दावा लाये है। तथा हमारा कब्जा है। सुमरन, जगराम, सहीराम के शपथ पत्र पेश किये है। तथा निवेदन किया कि गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी का बेचान नही करे तथा मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखे जबकि गैरसायलान द्वारा अपनी बहस में जबाव के तथ्यो को दोहराते हुए रामप्रसाद, सहीराम, के शपथ पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि सायलान का आराजी पर कभी भी आज दिन तक कब्जा काश्त नही रहा है। और ना ही कब्जे का कोई दस्तावेज पेश है। तथाकथित विक्रय पत्र वही में अंकित बताते है। उनके तथाकथित हस्ताक्षरकर्ता एक भी व्यक्ति जीवित नही है। गैरसायलान

जिला कलक्टर
करौली

Scanned by CamScanner

नं0 1 की बुजुर्गो की आराजी है। जो उन्हे विरासत में मिली है तथा ख0नं0 859 सहित अन्य आराजी का बेचान कर दिया है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

मैने अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस का मनन किया, पत्रांवली प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया उक्त आराजी ख0नं0 859, 860, 861 आज गैरसायलान नं0 1 की खातेदारी में है। जो जमाबन्दी मौजूदा में अंकित है। तथा पत्रांवली में प्रस्तुत विक्रय पत्र की फोटोप्रति का अवलोकन किया है। जिसमें गैरसायल नं0 1 द्वारा गैरसायल नं0 2 के हक में किया है। पत्रांवली में प्रस्तुत गिरदावरी तथा बही का अवलोकन किया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर सायलान प्रेमाफेसी केश साबित करने में असफल रहे है। सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में नही है। अपूर्तनीय क्षति सायलान से ज्यादा गैरसायलान को है। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा ख0नं. 859, 890, 861 बांके ग्राम मूंडिया अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2016 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम

Scanned by CamScanner